न्यायालयः—अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम्—सह—विशेष न्यायाधीश
एक्साइज एक्ट प्रथम, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1251 / 2022
मुरलीगंज थाना कांड संख्या—338 / 2019

1. अमित यादव उम्र 25 वर्ष पिता—शिवेश्वर यादव
साकिन—मुरहो वार्ड नं0—7, थाना—(भर्राही ओ.पी.) मधेपुरा, जिला—मधेपुरा।
......अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

17 / 10 / 2022 अभियुक्त अमित यादव पे0 शिवेश्वर, साकिन—मुरहो वार्ड नं0—7, थाना—(भर्राही ओ.पी) मधेपुरा, जिला—मधेपुरा का अग्रिम जमानत आवेदन जो मधेपुरा (भर्राही ओ.पी) थाना कांड सं0—338 / 2019 अन्तर्गत धारा—30(a) एवं 41(I) बिहार मद्यनिषेध एवं संशोधित अधिनियम—2016 से संबंधित है। गिरफ्तारी के आशंका से उक्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र झा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गयी। मामले में वाद दैनिकी की छायाप्रति अप्राप्त है। जमानत आवेदन के प्रति के आधार पर सुनवाई हेतु अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। सह अभियुक्त विवेक कुमार सिंह से प्रार्थी अभियुक्त को कोई लेना—देना नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लम्बित नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक द्वारा पीकअप गाडी नं0—BR11GC-3985 के मालिक, पीकअप गाडी के चालक तथा अन्य एक अभियुक्त के

लगातार.......

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1251 / 2022</u>
मुरलीगंज थाना कांड संख्या–338 / 2019

लगातार....
17 / 10 / 2022

विरूद्ध धारा- 30 (a) एवं 41(I) बिहार मद्यनिषेध एवं संशोधित अधिनियम–2016 के अन्तर्गत अपराध कारित करने का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में पिकअप नं0–BR11GC-3985 के तलाशी के कम में Biofiha से सील बंद पानी बोतल के काईनों (दस काईन) के नीचे रॉयल स्टेग विदेशी शराब 375 एम.एल. के 14 पीस प्रति काईन वाला 09 काईन, एक खुला काईन में 11 पीस बोतल इम्पीरियल ब्लू विदेशी शराब 375 एम.एल. के 24 पीस प्रति काईन 25 काईन, एक खुला काईन में 21 पीस बोतल तथा इम्पीरियल ब्लू विदेशी शराब 180 एम.एल के 48 पीस प्रति काईन वाला 04 कार्टून बरामद हुआ है। बिहार मद्यनिषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम एवं राम विनय यादव बनाम् बिहार राज्य में 2019 (2) P.L.J.R-1089 F.B में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के फूल बेंच द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि उत्पाद अधिनियम के अधीन अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। मामले में अनुसंधान जारी है। प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत के विशेषाधिकार का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त अमित यादव पे0 शिवेश्वर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित
Dewanand Mishra
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पंचम–सह– 17/10/22
विशेष न्यायीधश, एक्साइज एक्ट प्रथम, मधेपुरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-V मधेपुरा